न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **50 / 2020 अपील सू.प्र.**

उनवान

रतनलाल तेली पुत्र लादू लाल तेली निवासी तेलीखेडा ग्राम पंचायत पालडी तहसील व जिला भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाडा

––अपीलार्थी **––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :21-09.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 27.08.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 48 एफ 372597 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 07.08.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 04.09.2020 को पंजीबद्ध की जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा पत्रांक / सू.क.अ. / 2020 / 146 दिनांक 15.09.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार प्रत्यर्थी कार्यालय के पत्रांक / भू.अ. / 2020 / 1688 दिनांक 14.08.2020 से अपीलार्थी को प्रत्युत्तर की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है एवं प्राप्ति रसीद भी ली गयी।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 21-09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)